RSRTC राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीधी भर्ती

लक्ष्य®

ज्ञान अनन्त
LAKSHYA

29 दिसंबर, 2024 को जारी अधिसूचना द्वारा पुनर्गठित 41 जिलों व 7 संभागों के अनुसार पूर्णतः संशोधित संस्करण
(बजट 2025-26, आर्थिक समीक्षा 2024-25 एवं वन स्थिति रिपोर्ट, 2023 (SFR-2023) के अनुसार यथा संशोधित)

CONDUCTOR
परिचालक

RSSB द्वारा आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा

यातायात नियम • प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियां
राजस्थान सामान्य ज्ञान • गणित • अंग्रेजी • हिंदी

1500+
अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न

कांति जैन
डॉ. महावीर जैन

मनु प्रकाशन प्रा. लि., जयपुर

लक्ष्य®

28 दिसम्बर, 2024 को मंत्रिमण्डल के निर्णयानुसार राज्य के संभागों व जिलों की नवीनतम स्थिति के अनुसार तैयार पुस्तक

CONDUCTOR
परिचालक

RSSB द्वारा आयोजित सीधी भर्ती परीक्षा

यातायात नियम, प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियाँ, राजस्थान सामान्य ज्ञान, गणित, सामान्य अंग्रेजी एवं हिंदी

लेखक

- डॉ. महावीर जैन
- कान्ति जैन
- अंशुल जैन
- सेजल जैन
- डॉ. शिवानी जैन

विद्यार्थियों हेतु सूचना

- लक्ष्य की हमेशा से कोशिश रही है कि हम हर नई पुस्तक में **लेटेस्ट पाठ्यसामग्री** का समावेश करें। हमारा प्रयास रहता है कि पुस्तक का प्रेजेंटेशन इस तरह हो कि विद्यार्थियों को याद करने व **रिवीजन करने में आसानी** हो।
- इस संदर्भ में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। कॉल करें 98299-27737 पर (सोम-शनि, 11-6 PM)

ज्ञान अनन्त LAKSHYA

लक्ष्य®

मनु प्रकाशन (प्रा.) लिमिटेड, जयपुर

Bookbaazi.in

अनुक्रमणिका

सामान्य ज्ञान

- यातायात के नियम 1
- प्राथमिक उपचार तथा आपातकालीन स्थितियाँ 21
- राजस्थान: स्थिति, क्षेत्र, भौगोलिक परिस्थितियाँ 32
- राजस्थान का अपवाह तंत्र: नदियाँ एवं झीलें 44
- राजस्थान की जलवायु / मौसम 48
- राजस्थान के खनिज 53
- राजस्थान में कृषि फसलें 65
- राजस्थान के प्रमुख उद्योग 72
- राजस्थान के लोक देवता एवं लोक देवियाँ 84
- राजस्थान के लोक सन्त 93
- राजस्थान की भाषा व बोलियाँ 106
- राजस्थान के मेले 109
- राजस्थान के त्योहार 114
- राजस्थान की वेशभूषा, आभूषण, खान-पान एवं रीति-रिवाज 119
- राजस्थान के लोक संगीत एवं संगीत वाद्ययंत्र, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य 132
- राजस्थान की लोक कलाएँ 145
- जिला प्रशासन 146
- राजस्थान के जिलों के प्रमुख पर्यटन स्थल व स्मारक 156
- राजस्थान के प्रमुख राजवंशों का इतिहास 179
- राजस्थान में 1857 की क्रांति 197
- राजस्थान में किसान एवं जनजातीय आंदोलन 202
- राजस्थान में प्रजामण्डल आन्दोलन व राजनीतिक चेतना 214
- राजस्थान का एकीकरण 225-228

गणित

- गणितीय मूल संक्रियाएँ (जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग) 229
- लाभ-हानि (Profit-Loss) 239
- औसत (Average) 251
- प्रतिशत (Percentage) 255
- अनुपात-समानुपात (Ratio and Proportion) 261-266

अंग्रेजी

- Translation 267
- Singular-Plural 276
- Opposite Words 278
- Unseen Passage 284
- Tense 292
- Verb 304
- Incorrect-Correct Spellings 308
- Incorrect-Correct Sentence 313-320

Bookbaazi.in

हिन्दी

- संधि व संधि विच्छेद 321
- उपसर्ग 328
- प्रत्यय 331
- मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ 335
- पर्यायवाची शब्द 346
- विलोम शब्द 350
- समानार्थक शब्द 353
- वाक्यों का संशोधन व शुद्ध वर्तनी 356
- शुद्ध-अशुद्ध 364-372

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित

परिचालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024

कुल पद : 500

[गैर-अनुसूचित (Non-TSP) क्षेत्र के 454 व अनुसूचित (TSP) क्षेत्र के 46 पद]

परीक्षा की स्कीम

- लिखित परीक्षा बहुविकल्पीय (वस्तुनिष्ठ) प्रश्नों पर आधारित होगी।
- कुल 100 प्रश्न पूछे जायेंगे। प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।
- लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी।
- लिखित परीक्षा की अवधि 02 घण्टे होगी।
- सभी प्रश्न करना अनिवार्य है।
- गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा।

पाठ्यक्रम

सामान्य ज्ञान:-
- **राजस्थान:** स्थिति, क्षेत्र, ज़िले, संस्कृति, त्योहार, रीति-रिवाज, इतिहास, भौगोलिक परिस्थितियाँ, मौसम, खनिज, फसलें एवं प्रमुख उद्योग
- यातायात नियम
- प्राथमिक उपचार एवं आपातकालीन स्थितियाँ

गणित:-
- जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, लाभ एवं हानि, औसत, प्रतिशत, अनुपात एवं समानुपात

सम-सामयिक घटनाक्रम

General English:-
- Translation, Singular-Plural, Opposite words, Unseen passage, Tense, Verb, Incorrect-Correct Spelling and Sentence.

सामान्य हिन्दी:-
- शुद्ध-अशुद्ध, वाक्यों का संशोधन व शुद्ध वर्तनी, सन्धि, सन्धि-विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अंग्रेजी-हिन्दी अनुवाद, समानार्थक शब्द।

Bookbaazi.in

यातायात के नियम

सामान्य नियम :

- सड़क पर हमेशा बाएँ चलें, ताकि दोतरफा सड़क पर सामने से आ रहे वाहन आपकी दाहिनी तरफ से गुजर सकें तथा एकतरफा सड़क पर पीछे से आ रहे वाहन आपको दायीं तरफ से ओवरटेक कर सकें।
- बायीं तरफ मुड़ते समय आप बायीं तरफ बने रहें- जिस सड़क को छोड़ रहे हैं, उसके भी तथा जिसमें प्रवेश कर रहे हैं उसके भी। मगर दायीं तरफ मुड़ते समय सबसे पहले आप उस सड़क के बीच में पहुँचें जिसे आप छोड़ने जा रहे हैं, फिर इस तरह बढ़ें कि जिस सड़क पर आप प्रवेश कर रहे हैं, उसकी बायीं तरफ पहुँच जाएँ।
- हर मोड़, चौराहे और पैदल क्रॉसिंग पर वाहन धीमा कर लें तथा रास्ता साफ होने पर ही आगे बढ़ें। अगर किसी ऐसे मेन रोड पर प्रवेश कर रहे हों जिसका ट्रैफिक नियंत्रित नहीं किया जा रहा हो तो अपनी दायीं तरफ के यातायात को रास्ता दें।
- कभी-कभी हाथ के संकेत जरूरी होते हैं। जब **वाहन धीमा करना हो** तो पूरा हाथ बाहर निकालें और हथेली को नीचे की ओर रखकर हाथ को ऊपर-नीचे हिलाएँ। **रुकना हो** तो कोहनी से नीचे के हाथ को वाहन के बाहर एकदम सीधा खड़ा करें। दायीं तरफ मुड़ते या दायीं तरफ की साइड लेने में प्रवेश करते समय पूरा हाथ बाहर निकालें और हथेली को आगे की तरफ करें। **बायीं तरफ मुड़ते समय** या **बायीं तरफ लेन में प्रवेश के लिए** हाथ बाहर निकालें तथा उसे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाएँ।
- अपने पीछे के वाहन को **ओवरटेक** करने की अनुमति देने के लिए अपनी बाजू को सेमीसर्किल में आगे-पीछे की ओर घुमाएँ।
- टू व्हीलर्स पर सवार लोगों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो के मानदण्डों (आई.एस.आई.) के अनुरूप हेलमेट पहनना कानूनन जरूरी है।
- इन स्थानों पर वाहन कभी पार्क न करें :
  - रोड क्रॉसिंग पर या उसके निकट या पहाड़ी के ऊपर या जहाँ पार्किंग करना स्पष्ट रूप से मना हो।
  - फुटपाथ पर, ट्रैफिक सिग्नल या पैदल क्रॉसिंग के पास।
  - मेन रोड या भारी ट्रैफिक वाली सड़क एवं सफेद लाइन वाली सड़कों पर।
  - बस स्टॉप के निकट या स्कूल अथवा अस्पताल के प्रवेश द्वार पर।
  - किसी ट्रैफिक संकेत की एकदम बगल में, ताकि अन्य लोग उसे न देख पाएँ।
  - किसी इमारत के द्वार पर।
  - किसी फायर हाइड्रेंट के पास, जिससे उस तक पहुँचना मुश्किल हो जाए।
- वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर एकदम स्पष्ट हो और वह हर समय पढ़ा जा सके।
- एकतरफा यातायात वाली सड़कों पर वाहन केवल उसी दिशा में चलाएँ, जिसकी अनुमति हो, वहाँ रिवर्स चलाना मना है।
- सड़क को विभाजित करने वाली पीली रेखा को कभी पार न करें, ओवरटेक करते समय भी नहीं। स्पष्ट रूप से अंकित लेन वाली सड़कों पर लेन बदलने के लिए समुचित दिशा संकेतों का उपयोग करें।
- सड़क पर खिंची **स्टॉप लाइन** को रुकते समय कभी पार न करें। रुके हुए वाहन इस रेखा के बाहर नहीं पहुँचने चाहिए।
- हॉर्न का उपयोग केवल जरूरत पड़ने पर ही करें तथा **साइलेंस जोन** में हॉर्न कभी न बजाएँ। अपने वाहन में तेज स्वर, कई-कई सुर या तीखी और पैनी आवाज वाले हॉर्न न फिट करें।
- वाहन चालकों को यातायात नियंत्रित करने वाले पुलिस अधिकारियों या सड़क अथवा यातायात संकेतों के जरिए दिये जाने वाले निर्देशों का हर समय पालन करना चाहिए। इनका उल्लंघन दंडनीय अपराध है।
- अपने आगे वाले वाहन से समुचित दूरी बनाए रखें ताकि अगर वह अचानक रुके या गति धीमी करे तो आप उससे टकरा न जाएँ।
- सुरक्षा कारणों को छोड़कर कभी भी अचानक ब्रेक न लगाएँ। ढलान पर कभी इंजन बंद कर वाहन न चलाएँ, क्योंकि इंजन बंद गाड़ी में ब्रेक नहीं लगते।
- पहाड़ों और खड़ी चढ़ाई पर ऊपर जाने वाले वाहन को पहले जाने दिया जाना चाहिए। अगर सड़क समुचित रूप से चौड़ी न हो तो नीचे जा रहे वाहन चालक को अपना वाहन सड़क की एक तरफ खड़ा कर देना चाहिए, ताकि ऊपर जा रहा वाहन आसानी से पहले जा सके।
- सड़क मरम्मत का कार्य चल रहा हो तो रफ्तार धीमी कर लें तथा 25 किमी प्रति घंटे की गति से तेज न चलाएँ।
- ट्रैक्टरों या माल ढुलाई वाहनों के ड्राइवरों को किराए या फायदे के लिए यात्रियों को ले जाने की मनाही है। ट्रैक्टर में चालक को अपने सिवाय किसी और को नहीं बैठाना चाहिए, जबकि ढुलाई वाहन में ड्राइवर के साथ केवल उतने लोग बैठ सकते हैं, जिन्हें ड्राइवर के केबिन में बैठाने की अनुमति है।
- टू-व्हीलर पर आप उपयुक्त ढंग से केवल एक सवारी बिठा सकते हैं। वह भी आपके पीछे बैठनी चाहिए। वाहन चालक के आगे किसी को भी (चाहे वह बच्चा ही क्यों न हो) नहीं बिठाया जाना चाहिए। टू-व्हीलर पर सामान लादना भी कानून का उल्लंघन है।
- वाहन पीछे की तरफ (reverse) केवल उतना ही चलाएँ जितना जरूरी हो।
- बीमारी की हालत में या ड्राइविंग क्षमता को प्रभावित करने वाली किसी दवा को लेने के बाद सड़क पर वाहन न चलाएँ।
- सड़क का इस्तेमाल कर रहे अन्य लोगों पर लगातार नजर रखें। खासकर बच्चे अचानक कुछ भी कर सकते हैं।
- पैदल चलने वालों को हमेशा सड़क पार कर लेने दें। बच्चों और बूढ़ों का विशेष ध्यान रखें।
- पैदल क्रॉसिंग पर पैदल चलने वालों को पहले सड़क पार करने दें तथा जब तक वे सड़क पार न कर लें, अपना वाहन रोके रखें।
- स्कूल क्रॉसिंग पर भी अगर कोई सड़क पार कर रहा है तो आपको रुक जाना चाहिए। जब सब सड़क पार कर लें तभी आप वाहन आगे बढ़ाएँ।
- कभी भी टेढ़ी-मेढ़ी ड्राइविंग न करें, खासकर टू-व्हीलर्स की, इससे न केवल खुद की बल्कि अन्य लोगों की जान को भी खतरा पैदा होता है।
- पैदल या स्कूल क्रॉसिंग पर रुके किसी वाहन को ओवरटेक न करें।
- साइकिल चालकों के साथ उनकी लेन में चलने की कोशिश न करें। साथ ही, अगर सड़क पर कार से उतर रहे हों तो पीछे से आ रहे साइकिल चालकों या टू-व्हीलर चालकों का ध्यान रखते हुए दरवाजा खोलें।
- ओवरटेक करते समय हमेशा आगे वाले वाहन की **दायीं तरफ** से गुजरें। अगर आगे वाला वाहन चालक संकेत दे कि वह खुद दायीं तरफ मुड़ रहा है, तो आप बायीं तरफ से ओवरटेक कर सकते हैं।

Bookbaazi.in

- उस स्थिति में कभी ओवरटेक न करें जब आगे की सड़क **साफ नजर** नहीं आ रही हो या **किसी मोड़ या पहाड़ी के निकट** हो। इसी प्रकार अगर आपको लगे कि पीछे से आ रहा वाहन आपको ओवरटेक करने लगा है या आपके आगे वाले वाहन चालक ने आपको ओवरटेक करने की अनुमति नहीं दी हो, तो ओवरटेक न करें।
- अगर आप पहाड़ी या घुमाव के कारण आगे 150 मीटर से ज्यादा दूरी तक नहीं देख पा रहे हों, अथवा अगर सड़क सँकरी होने लगे तो ओवरटेक न करें।
- अगर कोई वाहन पैदल क्रॉसिंग, तिराहे या रेलवे क्रॉसिंग पर रुका हो तो उसे ओवरटेक न करें।
- कई लेन वाली सड़क पर आप जिस लेन में प्रवेश करना चाह रहे हों, तो उसमें पहले से ही चल रहे ट्रैफिक को पहले जाने दें।
- जब कोई आपको ओवरटेक कर रहा हो तो उस समय अपने वाहन की स्पीड न बढ़ाएँ। इससे ओवरटेक करने वाला चालक हड़बड़ा सकता है।

◈ **रात के अँधेरे में वाहन चलाना :** रात में अन्य वाहनों, पैदल चलने-वालों और आवारा पशुओं को देख पाना मुश्किल होता है। हो सकता है अन्य ड्राइवर या पैदल लोग शराब पिये हों। अत: वाहन पर आप नियंत्रण रखें।

- अगर सामने से कोई वाहन 200 मीटर के भीतर आ जाए या वह अपनी हैडलाइट डिम करे, दोनों में से जो पहले हो, तो आप अपने वाहन की हैडलाइट भी डिम कर दें। साथ ही अगर किसी वाहन के पीछे चलते समय आप उससे 200 मीटर या कम दूरी पर हों तो भी हैडलाइट डिम करें।
- धुंध या कोहरे में **हाई बीम** न जलाएँ क्योंकि ऐसे में आपकी ही रोशनी वापस आप पर रिफलेक्ट होगी, जिससे कम दिखने लगेगा। रात में **डिपर का उपयोग** भी अवश्य करें।
- अगर सामने आने वाले वाहन अपनी हाई बीम को डिप न करें तो आप सड़क की बायीं तरफ देखने लगें तथा अपनी लेन के बायीं तरफ चलना शुरू करें। अगर आँखें चुँधिया जाएँ तो स्पीड कम कर लें या कुछ देर के लिए वाहन रोक लें।
- अनेक चौराहों पर **ट्रैफिक सिग्नल** नहीं होते। ऐसे चौराहों पर आपको अपनी **दायीं तरफ वाले ट्रैफिक** को पहले जाने देना चाहिए।
- जिन चौराहों पर **बत्तियाँ फेल हो गई हों**, वहाँ भी आपको **अपनी दायीं तरफ के वाहनों** को रास्ता देना चाहिए। अगर अन्य चालक आपको रास्ता न दें तो आप भी वही गलती न करें, जो वे कर रहे हैं।
- फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और एम्बुलेंसों को जल्दी से अग्रता में रास्ता दें।
- अनियंत्रित चौराहों पर **पैदल चलने वालों** को सड़क पहले पार करने दें।
- "T" आकार के तिराहे पर जो सड़क खत्म हो रही हो उसके वाहन चालकों को चाहिए कि वे सामने की सड़क के वाहनों को पहले गुजरने दें, जब तक कोई और सड़क संकेत न हो। यहाँ पर दायीं तरफ वालों को पहले रास्ता दो का नियम लागू नहीं होता
- **गोल चक्कर** के घेरे की सड़क पर पहले मौजूद वाहनों को पहले जाने दें। चक्कर में प्रवेश के बाद अगर मुड़ना हो तो दिशा बताने के लिए **इंडिकेटर** से संकेत अवश्य करें।
- गोल चक्कर पर प्रवेश से पहले हमेशा **गति धीमी कर लें** तथा दूसरों को रास्ता देने के लिए तैयार रहें। अगर सड़क पर बाएँ-दाएँ या सीधे जाने के लिए लेन बनी हुई है तो उनका पालन करें। अगर लेन नहीं बनी है तो **बायीं तरफ** से **ओवरटेक** न करें। जिस तरफ मुड़ना हो, **संकेत (Indicator)** अवश्य दें। गोल चक्कर में तब प्रवेश करें जब ट्रैफिक में समुचित जगह बनी हो। बायीं तरफ मुड़ना हो तो सड़क की **बायीं तरफ** ही रहें। अगर किसी भी लेन से आकर सीधे जाना हो तो पूरे चक्कर में उसी लेन में चलते रहें। दायीं तरफ मुड़ना हो तो पहले गोल चक्कर की सड़क के बीचोंबीच आ जाएँ। चक्कर पर अपनी स्थिति बदलते समय सावधानी बरतें, खासकर बाहर निकलते समय।
- बायीं तरफ मुड़ते समय पैदल चलने वालों को पहले रास्ता दें। **दायें मुड़ते समय** जितना हो सके **सड़क के बीचोंबीच** रहें।
- यू-टर्न लेते समय आप उसी संकेत का पालन करें, जो आप **दायीं तरफ** मुड़ने के लिए करते हैं, अर्थात् दायीं तरफ का इंडिकेटर दें। साथ ही, पीछे के ट्रैफिक पर भी अपने बैक-व्यू मिरर से नजर रखें। जहाँ स्पष्ट तौर से मनाही हो वहाँ यू-टर्न न लें।
- यू-टर्न लेने हेतु अपने पीछे के वाहनों को यू-टर्न से कम से कम 30 **मीटर पहले यह संकेत देना** शुरू कर दें कि आप मुड़ना चाहते हैं।
- ट्रैफिक लाइट, हाइवे या ट्रैफिक में रुकावट वाली जगहों पर आप यू-टर्न नहीं ले सकते हैं। अगर किसी सड़क पर अकेली निरंतर रेखा या दो मध्य रेखाएँ खिंची हैं, तो वहाँ आप यू-टर्न नहीं ले सकते।

◈ **यातायात संकेत:** सड़क पर यातायात को नियंत्रित, सुविधाजनक व सुरक्षित बनाने के लिए कई प्रकार के संकेत चिह्न एवं ट्रैफिक लाइटें प्रयुक्त की जाती हैं। वाहन चालकों को इन संकेतों की पर्याप्त जानकारी एवं समझ होनी चाहिए, ताकि यात्रा सुरक्षित रहे। प्रमुख लाइटें एवं संकेत चिह्न निम्न हैं–

- **चौराहे या तिराहे पर यातायात बत्ती:** यातायात बत्तियाँ तीन रंग- **लाल, पीले (या नारंगी) एवं हरे रंग** की होती हैं। ये एक-एक कर क्रम से जलती एवं बुझती हैं ताकि चौराहे के यातायात को नियंत्रित कर संभावित दुर्घटनाओं को रोका जा सके। विभिन्न प्रकार की बत्तियों के उपयोग निम्न प्रकार हैं–
- **STOP (रुको): लाल रंग** की बत्ती रुकने का संकेत होती है। इसके जलने पर स्टॉप लाइन से कुछ पहले ही रुक जाएँ। एक-दूसरे से भी दूरी बनाए रखें ताकि सबको आगे की सड़क साफ दिखाई दे सके। लाल बत्ती पर आप बाएँ मुड़ सकते हैं, बशर्ते ऐसा करने की मनाही वाला बोर्ड न लगा हो।
- **पीली बत्ती (Yellow): नारंगी या पीली बत्ती** का मतलब है **सावधान लाल बत्ती होने वाली** है। अत: नारंगी बत्ती होते ही स्पीड धीमी कर स्टॉप लाइन से पहले ही रुकने का निर्णय कर लेना चाहिए। अगर बड़े चौराहे पर नारंगी बत्ती के दौरान आप सड़क के बीच फँस जाते हैं तो घबराकर एक्सीलेटर न दबाएँ, बल्कि शांत रहकर धीरे-धीरे चौराहा पार कर लें।
- **हरी बत्ती (Green) :** हरी बत्ती चलने का संकेत है। अत: चौराहे पर जिस ओर हरी बत्ती होती है उस ओर के ट्रैफिक को चौराहा क्रॉस करने की अनुमति होती है। अगर सबसे आगे खड़े हैं तो हरी बत्ती होते ही तूफान की तरह न उड़ें, बल्कि दूसरे तरफ की गाड़ियाँ निकल जाने पर धीरे से आगे बढ़ें।
- **स्थिर हरा ऐरो सिग्नल :** ऐरो द्वारा बताई गई दिशा में सावधानीपूर्वक बढ़ें।
- **जलता-बुझता लाल सिग्नल :** एकदम रुक जाएँ तथा सभी पैदल चलने वालों और अन्य वाहनों को निकलने दें। रास्ता साफ हो तभी आगे बढ़ें।

Bookbaazi.in

- **जलता-बुझता नारंगी सिग्नल :** वाहन की गति धीमी कर आगे बढ़ें।
- **जलती-बुझती हरी बत्ती :** इसका मतलब है अब वह क्रॉसिंग बंद होने वाली है अर्थात् लाल बत्ती होने वाली है, अत: सावधान रहें। लाल बत्ती होते ही वाहन स्टॉप लाइन के पहले रोकें।
- सड़क पर स्थान-स्थान पर लगाये गये यातायात चिह्नों को ध्यान में रखते हुए ही वाहन चलाना चाहिए। जैसे आगे खतरनाक मोड़ आने का चिह्न हो तो वाहन को धीमा कर लें। स्कूल-कॉलेज आदि का चिह्न हो तो भी वाहन को धीमा कर लें। रेलवे लाइन या स्पीड ब्रेकर का चिह्न हो तो भी वाहन को धीमा कर लेना चाहिए। इसी प्रकार अस्पताल का चिह्न होने पर हॉर्न नहीं बजाना चाहिए।
- यदि किसी स्थान पर कोई दुर्घटना घटित हो चुकी है तो उसे नजरअंदाज नहीं करें, बल्कि तुरंत **108 नंबर पर एंबुलेंस** को फोन करें व **100 नंबर** पर पुलिस को। यदि **फर्स्ट एड उपचार** की जानकारी रखते हैं तो जरूरत होने पर घायलों को तुरंत फर्स्ट एड उपचार दें।

यातायात संकेत चिह्न (Road or Traffic Signs)

यातायात (या रोड) संकेत चिह्न सड़क पर चलने वालों के लिए **मूक एवं दृश्य** निर्देश होते हैं। अत: सड़क पर चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को चाहे वह पैदल चल रहा हो, या कोई वाहन चला रहा हो, सुरक्षा के लिए इन संकेत चिह्नों का ज्ञान होना आवश्यक है। ये संकेत चिह्न चालक को सड़क पर आगे आने वाली स्थितियों का पूर्व में ही संकेत प्रदान कर देते हैं ताकि वह अपने वाहन को तद्नुसार सुरक्षित गति में कर ले। यदि आगे खतरनाक मोड़ आ रहा है तो इसका यातायात चिह्न इसके पूर्व ही सड़क के एक ओर दिखाई देगा ताकि चालक अपने वाहन की गति को नियंत्रित कर ले। यातायात संकेतों की जानकारी के साथ-साथ यह भी आवश्यक है कि हम उनके द्वारा दिये जा रहे निर्देशों या संकेतों का पालन करें, इससे यात्रा के दौरान न केवल हम स्वयं को सुरक्षित रख पायेंगे, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों एवं प्राणियों को भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। प्रमुख सड़क संकेत या यातायात संकेत चिह्न तीन वर्गों में विभाजित किये गये हैं-

आदेशात्मक या अनिवार्य सड़क चिह्न (Mandatory Signs)

- ये सड़क चिह्न कानूनन अनिवार्य हैं तथा इनका पालन करना अनिवार्य है। इनका उल्लंघन करना कानूनन अपराध है। अनिवार्य यातायात संकेतक सदैव **गोल घेरे (circle)** के अंदर होते हैं। ये अनिवार्य चिह्न निम्न हैं-
  - **रुको (STOP):** यह चिह्न सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख सड़क चिह्नों में से एक है। यह चिह्न दर्शाता है कि ड्राइवर वाहन को तत्काल रोक दे। आमतौर पर पुलिस, यातायात और पथ-कर प्रशासन इस चिह्न को जाँच-चौकियों पर लगाते हैं।

  - **रास्ता दो (Give Way):** यह चिह्न निर्देश देता है कि आपके दायीं ओर से गुजरने वाले वाहनों को रास्ता दो। इस चिह्न का प्रयोग गोलचक्कर पर किया जाता है, जहाँ एक विशेष लेन अनुशासन का पालन किया जाना होता है।

  - **प्रवेश निषेध:** जिन रास्तों में आगे वाहन का प्रवेश करना प्रतिबंधित हो, उनके वहाँ यह संकेत चिह्न प्रदर्शित किया जाता है।

  - **एकतरफा यातायात या आवाजाही:** कई स्थानों पर यातायात अधिक होने की वजह से चुनी हुई सड़कों पर केवल एकतरफ का यातायात जैसे केवल आने का यातायात अनुमत किया जाता है, तथा दूसरे रास्ते से जाने का यातायात चालू रखा जाता है। उन रास्तों के प्रारंभ में यह संकेत चिह्न लगाया जाता है। एकतरफा यातायात वाले रास्ते पर वाहन को **रिवर्स चलाना (उल्टा चलाना)** भी प्रतिबंधित होता है।

  - **दोनों तरफ वाहन निषेध:** जिन रास्तों पर वाहनों का चलना निषिद्ध हो वहाँ पर यह चिह्न प्रदर्शित किया जाता है। ऐसे रास्तों में हम बिना वाहन के ही जा सकते हैं।

  - **सभी मोटर वाहन निषेध:** यह चिह्न दर्शाता है कि इस निर्दिष्ट क्षेत्र में बाहरी या भीतरी वाहन नहीं चलाए जाएंगे। इस क्षेत्र में भीड़भाड़ कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। पदयात्रियों के उपयोग वाले क्षेत्रों में भी इस चिह्न का इस्तेमाल किया जाता है।

  - **ट्रक निषेध:** जब ट्रक जैसे भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक हो तो यह चिह्न लगा होता है। ये क्षेत्र के सँकरे रास्ते या भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र हो सकते हैं।

  - **साइकिलों का आना मना है :** साइकिल-सवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ सड़कों पर, जहाँ तेज गति से वाहन चलते हैं, साइकिल चलाने पर रोक लगा दी जाती है।

  - **आगे चलना या दाएँ मुड़ना अनिवार्य:** यह चिह्न यातायात को सीधे चलने या दाएँ मुड़ने का निर्देश देता है। बाएँ मुड़ना वर्जित है।

  - यह चिह्न यातायात को सीधे चलने या बाएँ मुड़ने का निर्देश देता है। दाएँ मुड़ना वर्जित है। इस चिह्न के उल्लंघन पर आपकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है और दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

  - यह चिह्न दर्शाता है कि इस सड़क पर **बैलगाड़ियों और हाथ ठेलों** को चलाना वर्जित है। धीमी गति से चलने वाली ये गाड़ियाँ और ठेले कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधा उत्पन्न करते हैं।

  - धीमी गति वाले वाहन कई बार यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बनते हैं। इसलिए, कुछ क्षेत्रों को सीमांकित कर उनमें **बैलगाड़ियाँ** चलाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

  - कुछ समय पहले तक परिवहन के लोकप्रिय साधन के रूप में **ताँगों या घोड़ा गाड़ियों** का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन परिवहन के नए और तेज साधनों के प्रचलन के साथ तांगे और घोड़ा गाड़ियाँ यातायात के सुगम प्रवाह में बाधक बन जाते हैं। इसलिए अनेक क्षेत्रों व सड़कों पर इन्हें चलाने पर रोक लगा दी गई है।

Bookbaazi.in

- यह चिह्न दर्शाता है कि निर्धारित सड़क पर **हाथ ठेले / हाथ गाड़ी** चलाने पर रोक है क्योंकि ये यातायात के तेज प्रवाह में बाधक बनते हैं।

- यह चिह्न संबंधित सड़क या निकटवर्ती क्षेत्र में पदयात्रियों की आवाजाही पर रोक को दर्शाता है। यह वह रास्ता या राजमार्ग हो सकता है, जहाँ तेज गति से वाहन चलते हैं। यह चिह्न चौराहे (इंटरसेक्शन) पर हो सकता है, जहाँ रास्ता पार करने के लिए सबवे (तलमार्ग), फुट ओवरब्रिज (पैदल पार करने का ऊपरी पुल) आदि सड़क पार करने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई हो।

- यह चिह्न चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में दाएँ न मुड़े।

- यह चिह्न चालक को निर्देश देता है कि वह किसी भी परिस्थिति में बाएँ न मुड़े।

- सड़क के कुछ व्यस्त चौराहों (इंटरसेक्शन) पर यह चिह्न देखा जा सकता है। इन चौराहों पर वापस मुड़ने (यू-टर्न) से बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं या यातायात जाम लग सकता है। जुर्माने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह यू-टर्न न ले व इस चिह्न का उल्लंघन न करे।

- राजमार्गों और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी के विकास के साथ वाहनों की गति में कई गुना वृद्धि हुई है। इसलिए, सड़क पर ड्राइविंग करते हुए समय बचाने के लिए आगे निकलने (ओवरटेकिंग) की कोशिश की जाती है। लेकिन सँकरी सड़क, पुल और मोड़ इत्यादि स्थानों पर ओवरटेकिंग करना खतरनाक हो जाता है। इन स्थानों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह चिह्न लगाकर **आगे निकलना (Over-taking) वर्जित** किया जाता है।

- **हॉर्न बजाना वर्जितः** आधुनिक समाज में अत्यधिक और अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाना असभ्य व्यवहार माना जाता है। लेकिन, अस्पतालों, अदालतों और स्कूलों आदि के आसपास मौन क्षेत्र होते हैं, जहाँ हॉर्न बजाना पूरी तरह वर्जित है। यह चिह्न ड्राइवर को मौन क्षेत्र का पालन करने और हॉर्न न बजाने का निर्देश देता है।

- यह चिह्न उस वाहन की चौड़ाई दर्शाता है, जिसे चिह्न के स्थान के पार जाने के क्षेत्र में प्रवेश के लिए अनुमति दी जाती है। इस क्षेत्र में 2 मीटर से ज्यादा चौड़ाई वाले वाहन के प्रवेश पर रोक होती है। यह कोई पुल या सँकरा रास्ता हो सकता है।

- कुछ सड़कें कम ऊँचाई के पुलों, रेलवे लाइनों आदि के नीचे होती हैं। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन वाहन की उस ऊँचाई को दर्शाता है, जो आसानी से पुल के नीचे से गुजर सके। दुर्घटना और दंडात्मक कार्यवाही से बचने के लिए निर्दिष्ट ऊँचाई सीमा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

- सड़क पर लगा यह चिह्न दर्शाता है कि कितनी लंबाई का वाहन उस रास्ते से गुजर सकता है। यह चिह्न तीव्र मोड़ या घुमावदार मोड़ पर लगाया जाता है। यह उन लंबे और बड़े आकार के वाहनों के लिए होता है जो सुरक्षित ढंग से मुड़ नहीं सकते।

- यह सड़क चिह्न उस वाहन की भार सीमा के बारे में होता है, जो सड़क पर आगे जा सकते हैं। यह चिह्न इंगित करता है कि 5 टन से अधिक भार का वाहन सड़क पर आगे नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ कोई पुल हो सकता है, जो 5 टन से अधिक भार सहन नहीं कर सकता है या वाहन का भार सहने में सड़क कमजोर है।

- आमतौर पर किसी पुल से पहले यह चिह्न लगाया जाता है। यह पुल की वहन क्षमता को दर्शाता है। इस चिह्न की भार सीमा 4 टन है। यह दर्शाता है कि सिर्फ 4 टन या उससे कम एक्सल भार वाले वाहन इस पुल से गुजर सकते हैं।

- **गति सीमाः** यह चिह्न वाहन की अधिकतम गति सीमा निर्धारित करता है, जो सड़क पर लगे यातायात चिह्न में दर्शायी जाती है। यहाँ इस गति से अधिक गति से वाहन नहीं चलाये जा सकते हैं। दंडात्मक कार्यवाही और सड़क पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए निर्धारित गति सीमा का हमेशा पालन करना चाहिए।

- **पार्किंग निषेधः** बड़े शहरों में यह चिह्न अत्यंत महत्त्वपूर्ण होता है। यह निर्धारित क्षेत्र में किसी भी वाहन को खड़ा करने (पार्किंग) को निषिद्ध करता है। इस क्षेत्र में खड़े किए गए किसी भी वाहन को उठाकर ले जाया जाएगा और वाहन के मालिक/ड्राइवर के खिलाफ दंडनीय कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए, ड्राइवर को अपना वाहन सिर्फ अधिकृत पार्किंग क्षेत्र में ही पार्क करना चाहिए।

- **रुकना वर्जितः** कुछ सड़कों पर यातायात का लगातार प्रवाह रहता है और वहाँ किसी एक भी वाहन के रुक जाने पर यातायात का पूरा प्रवाह प्रभावित हो जाता है। इन क्षेत्रों में 'गाड़ी को रोकना मना है' के चिह्न लगाए जाते हैं। इन जगहों पर वाहन रोकने या खड़ा करने पर दुर्घटना हो सकती है।

- इस चिह्न को देखने के बाद ड्राइवर को अपना वाहन बाएँ मोड़ना होगा। मार्ग परिवर्तन (डायवर्जन) के कारण यह चिह्न लगाया जाता है।

- यह चिह्न दर्शाता है कि यातायात सीधी दिशा में चलना चाहिए और किसी भी तरफ मुड़ने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है या सुरक्षा का खतरा हो सकता है।

- यह चिह्न ड्राइवर को सिर्फ दाएँ मुड़ने का निर्देश देता है। इस संकेत का पालन करने से सुरक्षित और सुगम ड्राइविंग का मार्ग प्रशस्त होता है।

- **बायें रहना अनिवार्यः** यह चिह्न निर्देश देता है कि यातायात के सुगम प्रवाह केलिए ड्राइवर बाएँ रहकर गाड़ी चलाएँ। यह चिह्न मुख्यतः उन सड़कों पर लगाया जाता है, जहाँ बीच में विभाजक (डिवाइडर) नहीं होता और उसी सड़क पर दुतरफा यातायात प्रवाह रहता है।

Bookbaazi.in

- **साइकिल पथ:** अनिवार्य साइकिल मार्ग संकेत दर्शाता है कि साइकिल चालक को अनिवार्य रूप से इस मार्ग का प्रयोग करना चाहिए। यह संकेत यह भी दर्शाता है कि इस मार्ग पर साइकिल के संचलन के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन का संचलन प्रतिबंधित है।

- **हॉर्न बजाना अनिवार्य:** कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, जब **हॉर्न बजाना अनिवार्य** होता है। अचानक मोड़ (ब्लाइंड टर्न) आने पर, खासकर पहाड़ी रास्तों में, मुड़ने से पहले हॉर्न बजाना एक सुरक्षित उपाय है। इसलिए, आप जब कभी यह चिह्न देखें तो सामने से आ रहे यातायात को सड़क पर आपकी मौजूदगी की जानकारी देने के लिए हॉर्न अवश्य बजाएँ।

- यह चिह्न दर्शाता है कि जिस स्थान पर यह चिह्न लगा हुआ है वहाँ प्रवेश करने के पश्चात चालक वाहन को निर्धारित गति पर ही चलाएगा। इस संबंध में दंडात्मक कार्रवाई तथा सड़क दुर्घटना से बचने के लिए अनिवार्य रूप से निर्धारित गति का अनुपालन किया जाना चाहिए।

- **प्रतिबंध समाप्त:** इस चिह्न के जरिए सड़क पर दर्शाई गई कोई भी रोक यहाँ समाप्त हो जाती है। यह चिह्न दर्शाता है कि चिह्न/चिह्नों द्वारा लगाई गई रोक इस बिन्दु के पार वैध नहीं है। लेकिन, ड्राइवरों को दुर्घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा के सभी उपाय अपनाने चाहिए।

अन्य अनिवार्य सड़क चिह्न

प्रवेश निषेध

दाहिने मोड़ना निषेध

बायें मोड़ना निषेध

दाहिने मोड़ना व यू मोड़ना निषेध

आगे निकलना मना

दायें मुड़ें

सचेतक या चेतावनी चिह्न (Cautionary or Warning Signs)

चेतावनी सड़क चिह्न सड़क पर चलने वालों को आगे के रास्ते के बारे में आवश्यक चेतावनी देते हैं, ताकि चालक उसी के अनुसार वाहन पर अपना नियंत्रण स्थापित कर संभावित दुर्घटना से बच सके। **चेतावनी चिह्न हमेशा एक त्रिकोण के अंदर बने होते हैं।** प्रमुख चेतावनी चिह्न निम्न हैं:

← तीखा (तीव्र) मोड़ (U-Turn) →

आगे तंग पुल

← आगे मुख्य सड़क →

बायें ← किनारे सड़क → दायें

आगे एक सड़क

स्कूल

घोड़े

आदमी काम पर (Man at work) है

गतिरोधक

ऊबड़-खाबड़ सड़क

पथरीली सड़क

पैदल पथ पार

Bookbazi.in

- **चौराहा :** यह चिह्न दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर चौराहा (क्रॉसिंग) है। अतः वाहन की गति धीमी करें और दोनों तरफ देखते हुए सावधानी से चौराहा पार करें।

- **वाई-सड़क संगम :** यह सड़क चिह्न आगे की सड़क के दो हिस्सों में विभाजित होकर अंग्रेजी के **'वाई' (y) अक्षर** के आकार की होने का संकेत देता है। इससे ड्राइवर को तिराहे पर गाड़ी मोड़ने में सहायता रहती है।

- **टी-तिराहा :** यह चिह्न दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अंग्रेजी के 'टी' अक्षर की तर्ज पर तिराहा (इंटरसेक्शन) (दायें-बायें सड़क) है और वहाँ सीधा रास्ता नहीं जाता है। वाहन को बायीं या दायीं ओर मोड़ना होगा। इससे ड्राइवर को अपने रास्ते की योजना बनाने में मदद मिलती है।

- **विषम सड़क संगम :** यह चिह्न दर्शाता है कि सीधी सड़क पर बायीं/दायीं और दायीं/बायीं ओर मुड़ने के लिए मोड़ (आगे-पीछे सड़क) उपलब्ध हैं, जिनके बीच छोटी दूरी है। यह एक तिराहा (इंटरसेक्शन) है, जहाँ सड़क एक-दूसरे को नहीं काटती हैं।

- **घाट या नदी का किनारा :** यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क घाट या नदी के किनारे की ओर जा रही है।

- **दिशा चिह्न :** यह चिह्न इस पर लिखे गए गंतव्य/स्थान की दिशा और दूरी दर्शाता है। यह चिह्न बोर्ड ड्राइवरों द्वारा स्थान को ढूँढ़ने में सहायक होता है।

- **मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग :** यह चिह्न दर्शाता है कि आगे एक रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ सुरक्षा के लिए कोई गार्ड तैनात नहीं है। एक ओर दो लाल रंग की पट्टी यह दर्शाती हैं कि रेलवे लाइन 100 मी. या 200 मी. की दूरी पर है।

- **गोल चक्कर :** यह चिह्न दर्शाता है कि आगे गोल चक्कर है और गोल चक्कर से पहले ड्राइवर को संबंधित लेन पर गाड़ी चलानी होगी।

- **आगे अवरोध है :** कई बार सड़क पथ-कर वसूली केंद्र/ जाँच चौकी से गुजरती है। यह चिह्न दर्शाता है कि आगे की सड़क पर अवरोध (बैरीकेड) है और वहाँ वाहनों को रुकना पड़ेगा।

- **पत्थर/चट्टानें लुढ़कने की संभावना :** यह चिह्न दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर पत्थर/चट्टानें गिरने का खतरा है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को सावधानी से वाहन चलाना चाहिए।

- यह चिह्न आपको आगे की सड़क पर एक दाहिने मोड़ के बारे में सचेत करता है। यह आपको स्थिति के अनुसार गाड़ी चलाने और अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना से बचने में सहायक होता है।

- यह चिह्न आपको आगे की सड़क पर एक बाएँ मोड़ के बारे में सचेत करता है। तदनुसार यह भी आपको गाड़ी चलाने में मददगार होता है। इससे आपको अपनी गाड़ी की गति धीमी करने और मोड़ पर नजर रखने का समय मिलता है। यह भी अचानक मोड़ दिखने पर दुर्घटना की संभावना को कम करता है।

- कैंची मोड़ यानी तीव्र मोड़ विशेष रूप से पहाड़ी सड़कों पर होते हैं। यह चिह्न आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र दाहिने मोड़ के बारे में आगाह करता है। इससे वाहन को मोड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिल जाता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है। इस चिह्न के न होने पर बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं क्योंकि पहाड़ी सड़कों पर तीव्र मोड़ आसानी से नज़र नहीं आते।

- यह चिह्न आपको आगे की सड़क पर एक तीव्र बाएँ मोड़ के बारे में आगाह करता है। यह चिह्न पहाड़ी सड़कों पर अवश्य लगाया जाता है। इससे वाहन के मुड़ने के लिए उसकी गति को कम करने का समय मिलता है और ड्राइवर मुड़ने के लिए सतर्क हो जाता है।

- यह सड़क चिह्न आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन, अर्थात् दायीं तरफ के जेडनुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को दाहिनी तरफ टेढ़े-मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिह्न को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए।

Bookbaazi.in

- यह सड़क चिह्न आगे की सड़क के वास्तविक डिजाइन, अर्थात् बाईं तरफ के जेडनुमा आकार के रास्ते को दर्शाता है। यह ड्राइवर को बाईं तरफ टेढ़े-मेढ़े रास्ते के बारे में आगाह करता है। इस चिह्न को देखने पर ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति कम करे और वाहन को सतर्कता से आगे बढ़ाए।

- यह सड़क चिह्न दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर **खड़ी चढ़ाई** है एवं ड्राइवर खड़ी चढ़ाई के लिए तैयार हो जाए और संबंधित गियर लगा ले। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिह्न लगाए जाते हैं, जहाँ सफर में खड़ी चढ़ाई और सीधी ढलान सामान्य बात होती है।

- यह सड़क चिह्न दर्शाता है कि आगे के रास्ते पर सीधी ढलान है एवं ड्राइवर संबंधित गियर लगाकर सीधी ढलान पर वाहन चलाने के लिए तैयार हो जाए। सीधी ढलान पर गाड़ी चलाने के लिए वाहन की गति धीमी रखनी चाहिए क्योंकि तेज गति से वाहन पर पकड़ कमजोर पड़ जाती है। अधिकतर मामलों में पहाड़ी सड़कों पर ये चिह्न लगाए जाते हैं।

- **आगे सँकरी सड़क:** जब सड़क की चौड़ाई कम हो जाती है और वह किसी सँकरे रास्ते से मिल जाती है तो तेज गति से चलने वाले वाहन के सामने से आ रहे वाहन से टकराने की संभावना रहती है। यह चिह्न ड्राइवर को सतर्क रहने का संकेत देता है क्योंकि **आगे का रास्ता सँकरा है**।

- **आगे चौड़ी सड़क:** यह चिह्न दर्शाता है कि आगे का रास्ता चौड़ा है। इस चिह्न के बाद सड़क चौड़ी होती है और इस प्रकार, यातायात को उसी के अनुसार चलना चाहिए।

- कई बार सड़क किसी ऐसे पुल के साथ मिलती है, जो सड़क से कम चौड़ा होता है। यह चिह्न ऐसे पुलों पर लगाया जाता है, जो सड़क की तुलना में सँकरे होते हैं। ड्राइवर को चाहिए कि वह गति कम करे और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सामने से आ रहे यातायात पर नजर रखे।

- **सड़क पर फिसलन:** यह चिह्न आगे की **सड़क की फिसलन भरी स्थितियों** को दर्शाता है। इन स्थितियों का कारण जल रिसाव या तेल का फैलना आदि हो सकता है। यह चिह्न दिखने पर चालक सदैव दुर्घटना से बचने के लिए अपने वाहन की गति कम करे।

- यह चिह्न आमतौर पर पहाड़ी सड़कों पर लगाया जाता है, जहाँ सड़कों पर धूल-मिट्टी या बजरी गिरती रहती है। यह चिह्न दिखने पर ड्राइवरों को धीमी गति से और सावधानीपूर्वक वाहन चलाना चाहिए क्योंकि यहाँ थोड़ी-सी लापरवाही से भी बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं।

- यह सड़क चिह्न दर्शाता है कि चौराहे की मुख्य सड़क पर एक साइकिल पथ है या साइकिल चालक इस पथ का निरंतर प्रयोग करते हैं। ड्राइवर को सावधानीपूर्वक चौराहा (इंटरसेक्शन) पार करना चाहिए ताकि साइकिल सवार सुरक्षित ढंग से मुख्य सड़क पार कर सकें।

- **पदयात्री पथ:** यह चिह्न ड्राइवर को आगाह करता है कि वह वाहन की गति धीमी कर दे या उसे रोक दे और पदयात्रियों को रास्ता पार करने दे। सड़क का एक भाग **सफेद पट्टियों के रूप में चिह्नित** किया जाता है, जिसे **जेब्रा क्रॉसिंग** के नाम से जाना जाता है। सड़क के जेब्रा क्रॉसिंग पर पदयात्रियों का पहला अधिकार होता है।

- यह सड़क चिह्न दर्शाता है कि आगे / आसपास कोई स्कूल है। दुर्घटनाओं से बचने के लिए ड्राइवर द्वारा वाहन की गति धीमी रखना और सावधानी से गाड़ी चलाना जरूरी है। बच्चे अक्सर दौड़कर या अचानक हड़बड़ी में सड़क पार करते हैं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए ड्राइवर हमेशा स्कूल के नजदीक सावधानी से वाहन चलाएँ।

- यह संकेत दर्शाता है कि यह सड़क तीन रंग वाली बत्ती सिग्नल से प्रचालित है क्योंकि चालक कुछ सड़कों पर इस प्रकार की व्यवस्था का अनुमान नहीं लगा पाते हैं।

- यह चिह्न दर्शाता है कि वहाँ सड़क पर पशुओं के भटकते हुए घूमने की बहुत संभावनाएँ हैं। सड़क पर पशुओं के घूमने से बड़ी दुर्घटनाएँ हो सकती हैं क्योंकि यातायात में जानवर के भड़कने का खतरा रहता है। इसलिए, जहाँ कहीं यह चिह्न देखें, सावधानी से गाड़ी चलाएँ।

- कुछ स्थानों पर पुल की व्यवस्था किए बिना सड़कें नदी के साथ जोड़ी जाती हैं। चूँकि नदी सड़क को विभाजित करती है इसलिए नौका सेवा के जरिए इन सड़कों को जोड़ा जाता है। यह चिह्न दर्शाता है कि **वहाँ नदी पार करने के लिए नौका सेवा उपलब्ध है।**

- **आगे गहरा गड्ढा:** यह चिह्न आगाह करता है कि आगे के रास्ते पर गहराई है। यह चिह्न ड्राइवर को सड़क का गहरा हिस्सा पार करने के लिए वाहन की गति धीमी रखने में सहायक होता है।

Bookbaazi.in

- **स्पीड ब्रेकर:** कुछ स्थानों में **सड़क पर एक उभार** होता है, जो **यातायात को धीमा करने** के लिए जान-बूझकर बनाया जाता है। यह चिह्न ड्राइवर को आगाह करता है कि वह इस उभार को पार करने के लिए वाहन की गति कम करे।

- **रोड कट:** यह चिह्न दर्शाता है कि सड़क के '**डिवाइडर**' (विभाजक) में एक '**गैप**' (रास्ता) है और वहाँ **यू-टर्न** (वापस मुड़ने की व्यवस्था की गई है। दुर्घटना से बचने के लिए ड्राइवर को चाहिए कि वह वाहन की गति धीमी करे और संबंधित लेन पर उसे ले जाए।

- यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहाँ बायीं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात को मार्ग देगा।

- यह संकेत मार्ग देने वाले संकेतों के समूह से है। यह संकेत विशिष्ट दर्शाता है कि वहाँ दायीं ओर साइड सड़क है। साइड सड़क का प्रयोक्ता यातायात को मार्ग देगा।

- **फाटक वाली रेल लाइन:** कई बार रेलवे लाइन सड़क से क्रॉस करते हुए गुजरती है। यह चिह्न दर्शाता है कि वहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है, जहाँ **गार्ड सुरक्षा** कर रहा है। ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए और तद्नुसार वाहन चलाना चाहिए। एक ओर दो लाल रंग की पट्टी यह दर्शाती है कि रेलवे लाइन 100 मी. या 200 मी. की दूरी पर है।

- **सड़क कार्य चालू (Man at work):** यह चिह्न दर्शाता है कि सड़क पर मरम्मत या सफाई आदि कार्य चल रहा है व मजदूर कार्य कर रहे हैं। सड़क पर काम कर रहे लोगों की यातायात से सुरक्षा जरूरी है और इसीलिए, सड़क पर मरम्मत स्थल से पहले यह चिह्न लगाया जाता है। ड्राइवर को चाहिए कि वह धीमी गति से वाहन चलाए और परिवर्तित मार्ग से गुजरते हुए मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

सूचनात्मक सड़क चिह्न (Informatory Road Signs)

सड़क पर लगाये जाने वाले सूचना चिह्न सड़क पर चलने वालों को आगे के गंतव्य स्थलों, आगे आने वाले भौगोलिक या ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों, होटलों, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप आदि के स्थित होने की जानकारी प्रदान करते हैं, ताकि यात्रियों का सफर आसान व आरामदायक बन सके। इनसे हमें हाइ-वे पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं व पार्किंग आदि की जानकारी मिलती है। ये **सूचना चिह्न सदैव नीली पृष्ठ भूमि में होते हैं। ये सभी चौकोर (आयताकार) होते हैं।**

ये चिह्न निम्न प्रकार हैं-

सार्वजनिक टेलिफोन

पेट्रोल पम्प

अस्पताल

हवाई अड्डा

टैक्सी स्टैण्ड

पुलिस स्टेशन

प्राथमिक चिकित्सा केंद्र

खान-पान

अल्पाहार (ब्रेकफास्ट)

गंतव्य संकेत

स्थान पहचान संकेत

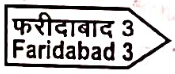

दिशा संकेत

आराम घर

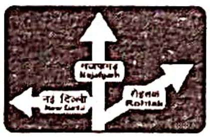

पूर्व दिशा संकेत

पुनः आश्वासन संकेत

सम्पर्क में सड़क

बन्द पार्किंग

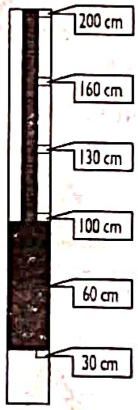

बाढ़ मापक

ऊपरगामी सेतु

रेल या मेट्रो स्टेशन

Bookbaazi.in

- यह चिह्न उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों (स्थानों) की दिशा को इंगित करता है। आम तौर पर चौराहे (इंटरसेक्शन) से पहले ये चिह्न लगाए जाते हैं।

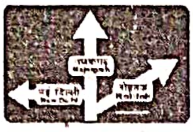

- यह अग्रिम संकेत इंटरसेक्शन से पूर्व स्थापित किया जाता है जो तीर के चिह्नों से गंतव्य के मार्ग को दर्शाता है, जिससे चालक को चौराहे पर सही मार्ग के चयन में सहायता मिलती है।

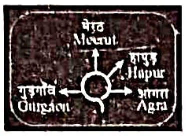

- यह चिह्न उस सड़क पर पड़ने वाले विभिन्न गंतव्यों (स्थानों) की दिशा और उनकी दूरी को इंगित करता है। आमतौर पर चौराहे (इंटरसेक्शन) से पहले ये चिह्न लगाए जाते हैं।

- यह चिह्न ड्राइवर को आश्वस्त करता है कि वह सही रास्ते पर है और यह उस पर लिखे गए स्थानों की दूरी भी दर्शाता है।

- यह चिह्न क्षेत्र की पहचान दर्शाता है। यह चिह्न बताता है कि उस क्षेत्र की सीमा शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर चित्रात्मक रूप में यह चिह्न लगाया जाता है।

- यह सूचनात्मक चिह्न दर्शाता है कि आगे एक पेट्रोल पम्प है। कई बार इस चिह्न पर दूरी भी इंगित की जाती है, जो दर्शाती है कि चिह्न बोर्ड से पेट्रोल पम्प कितनी दूरी पर है।

- यह चिह्न इंगित करता है कि आसपास अस्पताल है। इस रास्ते पर गाड़ी चलाते समय ड्राइवर को सतर्क रहना चाहिए और अनावश्यक रूप से हॉर्न नहीं बजाना चाहिए।

- यह चिह्न दर्शाता है कि आसपास एक प्राथमिक उपचार सुविधा है, जो आपात स्थिति या दुर्घटना के मामले में बहुत उपयोगी साबित होती है। आमतौर पर ये चिह्न राजमार्गों और ग्रामीण सड़कों पर लगाए जाते हैं।

- यह चिह्न इंगित करता है कि आसपास भोजन का एक स्थान है। आमतौर पर राजमार्गों और लंबे सफर की सड़कों पर यह चिह्न देखा जा सकता है।

- यह चिह्न इंगित करता है कि सड़क के नज़दीक अल्पाहार (चाय-नाश्ता) की सुविधा उपलब्ध है।

- सफर के दौरान यह चिह्न विश्राम के लिए मोटल, लॉज या अन्य विश्राम गृह के नजदीक लगाया जाता है। राजमार्गों पर ये चिह्न देखे जा सकते हैं।

- "सड़क बंद है" संकेत दर्शाता है कि वहाँ सड़क पर आगे रास्ता नहीं है।

- यह चिह्न बस स्टॉप को दर्शाता है। यह दर्शाता है कि सभी बसें (सार्वजनिक परिवहन) इस स्थान पर रुकेंगी।

- यह चिह्न सड़क के पास टेलीफोन की उपलब्धता को दर्शाता है।

- यह संकेत दर्शाता है कि सड़क पर आगे सुरंग है। यह संकेत कई बार सुरंग के नाम तथा उसकी लंबाई को भी दर्शाता है।

- यह चिह्न पैदलपथ **अंडरपास / सबवे** को दर्शाता है। इस स्थान पर सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को अनिवार्य रूप से इन अंडरपास / सबवे का प्रयोग करना चाहिए।

- 'पार्किंग' चिह्न दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है। इसलिए, चालक को अपना वाहन सही और प्राधिकृत स्थान पर ही पार्क करना चाहिये। यह चिह्न इंगित करता है कि दोनों तरफ वाहन पार्क किए जा सकते हैं।

- यह "पार्किंग" चिह्न दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन अर्थात् **केवल साइकिल** को पार्क किया जा सकता है।

- यह "पार्किंग" चिह्न दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन अर्थात् **केवल साइकिल** रिक्शा को पार्क किया जा सकता है।

- यह "पार्किंग" चिह्न दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन अर्थात् **केवल स्कूटर और मोटर साइकिल** को पार्क करना प्राधिकृत है।

- यह "पार्किंग" चिह्न दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन अर्थात् **केवल टैक्सियों** को पार्क करना प्राधिकृत है।

- यह "पार्किंग" चिह्न दर्शाता है कि वहाँ विशिष्ट प्रकार के वाहन को पार्क करना प्राधिकृत है। यह चिह्न दर्शाता है कि यहाँ **केवल ऑटोरिक्शा** को पार्क किया जाए।

Bookbaazi.in

- निम्नलिखित संकेत क्या दर्शाता है?

(1) वाहन 50 किमी/घंटा से अधिक न चलाएँ
(2) 50 किमी/घंटा पर ही वाहन चलाएँ
(3) वाहन 50 किमी/घंटा से कम न चलाएँ
(4) वाहन 50 किमी/घंटा के आस-पास ही चलाएँ। (1)

- निम्नलिखित स्थान पर पार्किंग निषिद्ध है-
(1) जो फायर हाइड्रेंट को अवरुद्ध करे।
(2) एक सार्वजनिक कुएँ के पास
(3) सड़क के बायीं ओर
(4) सड़क के दायीं ओर (1)

- निम्नलिखित वाहनों को खुला मार्ग (रास्ता) दिया जाना चाहिए -
(1) पुलिस के वाहन
(2) एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवाएँ
(3) एक्सप्रेस और सुपरएक्सप्रेस बसें
(4) निजी वाहन (2)

- निम्नलिखित संकेत दर्शाता है-

(1) प्रतिबंध समाप्त (2) ओवरटेकिंग नहीं
(3) प्रवेश निषेध (4) पार्किंग नहीं (3)

- इनमें से कौनसे स्थान पर हॉर्न का उपयोग निषिद्ध है?
(1) मंदिरों, मस्जिदों और चर्चों के पास
(2) अस्पतालों और कानूनी अदालतों के पास
(3) पुलिस स्टेशन के पास
(4) बस स्टॉप के पास (2)

- जब आप एक चौराहे के पास पहुँच रहे हैं, जहाँ पीली सिग्नल लाइट झपक रही है, आपको क्या करना चाहिए?
(1) जैसा कि कोई प्रतिबंध नहीं है, उसी गति से आगे बढ़ें
(2) वाहन रोकें और हरी बत्ती के चालू होने की प्रतीक्षा करें
(3) वाहन को धीमा करें और सुरक्षित होने पर ही आगे बढ़ें
(4) उपर्युक्त में से कोई नहीं (3)

- निजी वाहन में ले जाने की अनुमति देने वाले यात्रियों की संख्या दर्ज की जाती है-
(1) कर टोकन में (2) पंजीकरण प्रमाण-पत्र में
(3) परमिट में (4) प्रदूषण प्रमाण-पत्र में (2)

- पुलिस इस संकेत के साथ क्या संकेत दे रही है?

(1) वाहनों को पीछे से गुजरने का संकेत
(2) पीछे से आने वाले वाहनों को रुकने के लिए संकेत
(3) सामने से आने वाले वाहनों को रोकने का संकेत
(4) पीछे से आने वाले वाहनों को दाएँ मुड़ने के लिए अनुरोध (2)

- निम्नलिखित मामलों में ओवरटेकिंग निषिद्ध है-
(1) तंग पुल (2) स्टेट हाईवे
(3) राष्ट्रीय हाईवे (4) पंचायत की सड़कें (1)

- रिवर्स गियर में ड्राइविंग की अनुमति नहीं है-
(1) वन-वे-सड़क पर (2) अवरोही सड़क पर
(3) आरोही सड़क पर (4) उक्त सभी पर (1)

- वाहन को ओवरटेक करने से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि-
(1) पीछे से कोई वाहन नहीं आ रहा है
(2) आगे की सड़क साफ दिख रही है और वाहन से आगे निकल जाना सुरक्षित है
(3) सामने वाहन बाएँ मुड़ रहा है
(4) उपर्युक्त सभी (2)

- इंजन के तापमान को कौनसी चीज नियंत्रित करती है?
(1) इग्निशन (2) हीटिंग (3) कूलेंट (4) ईंधन (3)

- कार को रोकने के लिए ब्रेक पर फोर्स लगाने से, ब्रेक पैडल से ब्रेक तक क्या बहता है?
(1) फोर्स (2) फ्रिक्शन (3) डिस्क (4) ब्रेक फ्लुइड (4)

- यदि आप गर्म रेडिएटर कैप खोलते हैं तो क्या होगा?
(1) इससे अपना हाथ जलाओगे
(2) आप अंदर फ्लुइड पदार्थ के स्तर की जाँच करने में सक्षम होंगे
(3) आपको उबलते पानी या भाप का छिड़का लगेगा
(4) कैप जल जाएगी (3)

- यह चित्र किस चीज का है?

(1) स्पार्क प्लग (2) नॉक सेंसर्स
(3) इंजेक्टर्स (4) सेफ्टी पिन्स (3)

- चाबी घुमाने से चालू होने पर करंट कहाँ जाता है?
(1) बैटरी को (2) स्टार्टर को (3) ब्रेक को (4) इंजन को (2)

- यदि मेरा यात्री मुझ पर और अधिक तेजी से गाड़ी चलाने का दबाव बनाने की कोशिश करता है, तो मैं-
(1) उस पर ध्यान न दूँ (2) उसके साथ बहस करूँ
(3) विनम्रता से मना करूँ (4) उसकी बात मान लूँ (3)

- मेरा मानना है कि कुछ यातायात नियमों को तोड़ने में कुछ भी गलत नहीं है तब तक आपके पास अच्छे रिफ्लेक्स हैं (एक सतर्क चालक हैं);
(1) दृढ़तापूर्वक सहमत (2) सहमत
(3) थोड़ा सहमत (4) असहमत (4)

Bookbaazi.in

- आप 20 किमी/घंटा की गति सीमा के साथ एक निर्माण क्षेत्र में प्रवेश करने वाले हैं। हालाँकि कोई भी उस गति सीमा का पालन नहीं करता है तथा अन्य चालक तेजी से गाड़ी चला रहे हैं। आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे?
  (1) मैं बाकी ट्रैफिक के साथ गाड़ी की गति में तेजी लाऊँगा
  (2) मैं थोड़ा धीमा हो जाऊँगा, लेकिन मैं गति सीमा के साथ नहीं जाऊँगा।
  (3) मैं गति सीमा के अनुसार धीमा हो जाऊँगा
  (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं (3)
- कौनसा चिह्न बताता है कि आगे मुख्य सड़क है?
  (1) (2)
  (3) (4) (3)
- कौनसा चिह्न बताता है कि दाहिनी ओर मुड़ना निषेध है?
  (1) (2)
  (3) (4) (2)
- एक पैदल पारपथ के निकट जब पदयात्री पथ पार करने के लिए प्रतीक्षारत हों तब आप-
  (1) हॉर्न देकर आगे बढ़ेंगे।
  (2) गति कम करते हुए हॉर्न देकर आगे बढ़ेंगे।
  (3) वाहन रोककर तब तक प्रतीक्षा करेंगे, जब तक पदयात्री पथ पार न कर लें।
  (4) पदयात्री को रोककर अपनी गाड़ी को निकाल लेंगे। (3)
- आपके वाहन से लाइट का डिपर देना आवश्यक है-
  (1) जब आप ओवरटेक करना चाह रहे हों।
  (2) जब धुंध हो रही हो।
  (3) ओवरटेकिंग की अनुमति है।
  (4) ओवरटेकिंग की अनुमति नहीं है। (2)
- व्यावसायिक वाहन की नम्बर प्लेट का रंग होता है-
  (1) पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक।
  (2) काली पृष्ठभूमि पर पीले रंग के अक्षर व अंक।
  (3) सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक।
  (4) काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अक्षर व अंक। (1)
- यह चिह्न प्रदर्शित करता है-

  (1) प्रवेश निषेध है। (2) एकतरफा रास्ता है।
  (3) गति सीमा खत्म होती है। (4) इनमें से कोई नहीं (2)
- यदि बत्ती हरी हो, लेकिन पैदल-पार-पथ पर लोग सड़क पार कर रहे हों तो गाड़ी रोकनी चाहिए-
  (1) हाँ। (2) नहीं।
  (3) स्पीड बिल्कुल धीमी करनी चाहिए
  (4) रोक सकते हैं। (1)
- कौनसा चिह्न बताता है कि आवश्यक रूप से हॉर्न बजाना है?
  (1) (2)
  (3) (4) (3)
- कौनसा चिह्न बताता है कि फाटक वाला रेलवे क्रॉसिंग 200 मीटर की दूरी पर है?
  (1) (2)
  (3) (4) (4)
- हरी बत्ती के बाद कौनसी लाइट जलती है?
  (1) लाल (2) नीली
  (3) पीली (4) नारंगी (3)
- आप किसी वाहन को ओवरटेक कर सकते हैं-
  (1) उस वाहन की दाहिनी ओर से
  (2) उस वाहन की बायीं ओर से
  (3) वाहन की किसी भी ओर से
  (4) वाहन की किसी भी ओर से नहीं (1)
- लाल यातायात बत्ती संकेत करती है-
  (1) सावधानी रखते हुए आगे बढ़ें।
  (2) वाहन रोकें।
  (3) वाहन की गति कम करें।
  (4) वाहन नहीं रोकें। (2)
- यह चिह्न प्रदर्शित करता है-

  (1) आगे नाँव मार्ग है। (2) आगे मुख्य सड़क है।
  (3) आगे सड़क बंद है। (4) इनमें से कोई नहीं (3)
- जब आप कोई वाहन चला रहे हैं, तो आप मोबाइल पर बात करेंगे-
  (1) हाँ
  (2) नहीं
  (3) आप वाहन को धीरे करने के बाद बात करेंगे।
  (4) यदि वहाँ यातायात का दबाव कम हो तो बात करेंगे (2)

Bookbaazi.in

- किसी दुर्घटना के घटित होने पर 'आपातकालीन एम्बुलेन्स' के लिए आप डायल करेंगे–
  (1) 108 (2) 101 (3) 100 (4) 180 (1)
- कौनसा चिह्न बताता है कि आगे आराम स्थल है?
  (1) (2)
  (3) (4) (2)
- एक प्रशिक्षु (Learning) लाइसेन्स की वैधता रहती है–
  (1) जब तक कि वाहन चालन लाइसेन्स प्राप्त न हो जाए
  (2) लर्निंग लाइसेन्स जारी होने की दिनांक से 6 महीनों तक के लिए
  (3) लर्निंग लाइसेन्स जारी होने की दिनांक से 120 दिन के लिए
  (4) लर्निंग लाइसेन्स जारी होने की दिनांक से 360 दिन के लिए (2)
- जब आप रात को शहर में वाहन चला रहे हों, तो आपके वाहन की हैडलाइट होगी–
  (1) लो बीम (2) हाई बीम
  (3) सभी लाइटें बंद कर देंगे। (4) सभी लाइटें चालू कर देंगे। (1)
- ड्राइविंग लाइसेन्स की वैधता होती है–
  (1) पूरे देश में (2) केवल उसी राज्य में
  (3) केवल उसी जिले में (4) केवल उसी संभाग में (1)
- जब कोई वाहन बिना किसी सुरक्षाप्रहरी वाले रेलवे लाइन क्रॉसिंग के निकट हो, तो रेलवे लाइन पार करने से पूर्व वाहन चालक–
  (1) वाहन को मार्ग के बायीं ओर रोकेंगे, वाहन से उतर कर यह सुनिश्चित करेंगे कि दोनों ओर से कोई रेल या ट्रॉली तो नहीं आ रही है।
  (2) हॉर्न देकर रेलवे क्रॉसिंग को शीघ्रातिशीघ्र पार करने का प्रयास करेंगे।
  (3) रेल के गुजरने तक प्रतीक्षा करेंगे।
  (4) हॉर्न देकर धीरे-धीरे देखते हुए लाइन पार करेंगे। (1)
- आपकी गाड़ी चौराहे की तरफ जा रही है, वहाँ पीले रंग की बत्ती जल रही है, आप क्या करेंगे?
  (1) वाहन की गति धीमी करेंगे एवं सावधानीपूर्वक आगे बढ़ेंगे।
  (2) वाहन को रोक देंगे एवं हरी बत्ती होने तक इंतजार करेंगे।
  (3) इसी रफ्तार से हॉर्न बजाते हुए आगे बढ़ते रहेंगे।
  (4) वाहन की तेज गति से चौराहा क्रॉस करेंगे। (2)
- कौनसा चिह्न बताता है कि आगे चौराहा है?
  (1) (2)
  (3) (4) (3)
- कौनसा चिह्न बताता है कि रास्ता दीजिए?
  (1) (2)
  (3) (4) (1)
- हैण्ड ब्रेक का प्रयोग किया जाता है–
  (1) गति सीमा को कम करने के लिए
  (2) अचानक ब्रेक लगाने के लिए
  (3) वाहन को कहीं खड़ा करने के लिए
  (4) वाहन को ढलान पर चलाते समय (3)
- पीली ट्रैफिक लाइट का जलने एवं बुझने का अर्थ है–
  (1) हरी लाइट जलने तक वाहन को रोकेंगे।
  (2) वाहन को रोककर, सावधानी से आगे बढ़ेंगे।
  (3) वाहन की गति कम करके, सावधानी से आगे बढ़ेंगे।
  (4) वाहन की गति बढ़ाकर, सावधानी से आगे बढ़ेंगे। (3)
- आप ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए आवेदन कर सकते हैं–
  (1) लर्निंग लाइसेन्स जारी होने के 30 दिन उपरान्त, किन्तु 6 माह में।
  (2) लर्निंग लाइसेन्स जारी होने के 60 दिन उपरान्त, किन्तु 6 माह में।
  (3) लर्निंग लाइसेन्स जारी होने के 90 दिन उपरान्त, किन्तु 6 माह में।
  (4) लर्निंग लाइसेन्स जारी होने के 120 दिन उपरान्त, किन्तु 6 माह में। (1)
- आपके वाहन से किसी को चोट लग गई है, तो आप इनमें से क्या करेंगे?
  (1) पुलिस को सूचना देंगे।
  (2) घायल को अस्पताल पहुँचा कर पुलिस को सूचना देंगे।
  (3) पुलिस को सूचना न देकर 108 नंबर पर एंबुलेंस को कॉल करेंगे।
  (4) घायल को अस्पताल पहुँचा कर पुलिस को सूचना नहीं देंगे। (2)
- दुपहिया वाहन पर तीन सवारी चल सकती हैं–
  (1) हाँ (2) नहीं
  (3) हाँ, यदि उन्होंने हेलमेट पहन रखा हो।
  (4) हाँ, यदि ट्रैफिक पुलिस न हो। (2)
- यह चिह्न प्रदर्शित करता है–

  (1) अंकुश समाप्त हो चुके हैं। (2) ठहरिये नहीं।
  (3) वाहन खड़ा करना मना है। (4) प्रवेश निषेध (3)
- अनिवार्य सड़क चिह्न निम्न में से किसमें प्रदर्शित किये जाते हैं?
  (1) (2)
  (3) (4) (1)
- जब वाहन चालक वाहन चलाये तो उसे निम्न प्रपत्र सदैव अपने साथ रखने चाहिए–
  (1) मूल ड्राइविंग लाइसेन्स
  (2) मूल ड्राइविंग लाइसेन्स की रंगीन फोटो कॉपी
  (3) मूल ड्राइविंग लाइसेन्स की सत्यापित प्रति
  (4) स्वयं का ID कार्ड (1)
- सड़क के बीच में खिंची लगातार पीली लाइन क्या प्रदर्शित करती है?
  (1) ओवरटेकिंग की अनुमति है।
  (2) पीली लाइन को पार करना प्रतिबंधित है।
  (3) वाहन चालक इस लाइन के पार जा सकता है।
  (4) ओवरटेकिंग निषेध है। (2)

Bookbaazi.in

◆ एम्बुलेंस पीछे से आ रही हो, तो उसे आगे निकलने के लिए साइड देनी चाहिए–
(1) सदैव (2) नहीं
(3) हाँ, यदि वहाँ हरी लाइट हो तो
(4) नहीं, यदि वहाँ लाल लाइट हो तो (1)

◆ व्यावसायिक वाहन के ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए न्यूनतम आयु सीमा है–
(1) 18 वर्ष (2) 21 वर्ष
(3) 20 वर्ष (4) 16 वर्ष (3)

◆ यदि कोई पैदल यात्री बिना 'पैदल-पार-पथ' की लाइन से सड़क पार कर रहा है, तो आप क्या करेंगे?
(1) पैदल यात्री के निकलने तक वाहन रोक लेंगे।
(2) सावधानी से वाहन निकालेंगे।
(3) पैदल यात्री को वार्निंग देते हुए कम स्पीड पर वाहन निकालेंगे।
(4) इनमें से कुछ नहीं करेंगे। (1)

◆ सूचनात्मक सड़क चिह्न किसमें प्रदर्शित किये जाते हैं?
(1) (2)
(3) (4) (2)

◆ हल्के मोटर वाहन के ड्राइविंग लाइसेन्स के लिए न्यूनतम आयु सीमा है–
(1) 16 वर्ष (2) 18 वर्ष
(3) 20 वर्ष (4) 22 वर्ष (2)

◆ यदि आप वाहन चलाते समय अपनी लेन बदलना चाहें तो क्या करेंगे?
(1) सही प्रकार लाइट अथवा हाथ से संकेत देते हुए लेन बदलेंगे।
(2) सही प्रकार लाइट एवं हाथ से संकेत करेंगे एवं सुरक्षित महसूस करने पर ही लेन बदलेंगे।
(3) नियमों के विपरीत होने के कारण लेन नहीं बदलेंगे।
(4) पीछे से वाहन नहीं आ रहा हो तो तुरंत लेन बदल लेंगे। (2)

◆ लाल बत्ती होने पर रुकना आवश्यक है–
(1) सदैव (2) कभी नहीं
(3) केवल दिन के समय (4) केवल रात्रि के समय (1)

◆ कौनसा चिह्न बताता है कि सड़क के बीच में अंतराल है?
(1) (2)
(3) (4) (3)

◆ वाहन प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता होती है–
(1) 6 माह (2) 1 वर्ष
(3) 2 वर्ष (4) 3 वर्ष (1)

◆ कौनसा चिह्न बताता है कि दोनों ओर पार्किंग कर सकते हैं?
(1)

(2)
(3)

(4)

(3)

◆ वाहन के बीमा की वैधता होती है–
(1) 6 माह (2) 1 वर्ष (3) 2 वर्ष (4) 3 वर्ष (2)

◆ यदि आपके पास लर्निंग लाइसेन्स है, तो आप ड्राइविंग सीखने हेतु क्या करेंगे?
(1) वाहन सिर्फ दिन के उजाले में ही चलाएँगे।
(2) वाहन किसी प्रशिक्षित चालक के पास में बैठे होने पर ही चलायेंगे जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेन्स भी हो।
(3) वहीं प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ यातायात का दबाव कम हो।
(4) रात के समय सुनसान सड़क पर बिना किसी की सहायता के गाड़ी चलायेंगे। (2)

◆ सड़क पार करने के लिए पैदल-पार-पथ का उपयोग करना चाहिए–
(1) हमेशा (2) कभी नहीं
(3) कभी-कभी (4) उपर्युक्त में से कोई नहीं (1)

◆ निजी वाहन की नंबर प्लेट का रंग होता है–
(1) काली पृष्ठभूमि पर पीले रंग के अक्षर व अंक।
(2) पीली पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक।
(3) सफेद पृष्ठभूमि पर काले रंग के अक्षर व अंक।
(4) काली पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अक्षर व अंक। (3)

◆ यदि आप किसी छोटे रास्ते से मुख्य सड़क पर आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे?
(1) आप गाड़ी रोककर मुख्य सड़क के दोनों ओर देखेंगे एवं सुरक्षित लगने पर ही मुख्य सड़क पर आएँगे।
(2) आप सावधानी से मुख्य सड़क पर आ जाएँगे।
(3) यदि रास्ता साफ है, तो आप बिना स्पीड कम किये मुख्य सड़क पर आ जाएँगे।
(4) स्पीड से मुख्य सड़क पर आयेंगे। (1)

◆ इलेक्ट्रिक वाहन (EV) की नंबर प्लेट का रंग होता है–
(1) पीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अंक
(2) हरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अंक
(3) काले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग के अंक
(4) हरे रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग के अंक (2)

◆ कॉमर्शियल वाहन की नंबर प्लेट की पृष्ठभूमि किस रंग की होती है?
(1) काले रंग की (2) सफेद रंग की
(3) पीले रंग की (4) लाल रंग की (3)

◆ अगर आप सँकरे ब्रिज पर पहुँच गये और सामने से उस ब्रिज पर किसी दूसरे वाहन ने प्रवेश कर लिया तो आप क्या करेंगे?
(1) आपने वाहन की स्पीड बढ़ाकर जैसे भी हो जल्दी से ब्रिज क्रॉस करेंगे
(2) हैड लाइट चालू करके ब्रिज क्रॉस करेंगे।
(3) सामने का वाहन ब्रिज क्रॉस करे तब तक रुककर, फिर आगे जायेंगे
(4) हॉर्न देकर ब्रिज क्रॉस करेंगे। (3)

Bookbaazi.in